



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 2019-श्रावण 25, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम अशोक कुमार नागला है तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जाता हूँ तथा मेरा यही नाम समस्त दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है तथा मैं अशोक नागला के नाम से भी कहीं-कहीं सम्बोधित किया जाता हूँ इसी प्रकार मेरे उक्त दोनों नाम होकर मैं दोनों नाम से जाना एवं पहचाना जाता होकर मेरे दो नाम प्रचलन में हैं व दोनों नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरे ही नाम हैं।

पुराना नाम :

(अशोक कुमार नागला)

(436-बी.)

नया नाम :

(अशोक कुमार नागला)

पिता-चांदमल नागला,

निवासी-13, शक्कर बाजार मेनरोड,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, नैना जैन सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शैक्षणिक प्रपत्र सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, वोटरकार्ड इत्यादि में मेरा नाम शैलजा जैन पुत्री श्री कन्हैया लाल जैन (SHAILJA JAIN D/o KANHEYA LAL JAIN) था। जो कि बदलकर अब मेरा नाम नैना जैन पुत्री श्री कन्हैया लाल जैन (NAINA JAIN D/o KANHEYA LAL JAIN) हो गया है तथा भविष्य में भी इसी नाम से ही जानी पहचानी जाऊंगी तथा मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्रों में नैना जैन पुत्री श्री कन्हैया लाल जैन अंकित किया जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(शैलजा जैन)

मूल निवासी मकान नंबर 303, एन श्याम
नगर एन एक्स, जिला इन्दौर (म.प्र.).
(437-बी.)

नया नाम :

(नैना जैन)

निवासी-मकान नं. 356, आधारशिला वेस्ट ब्लॉक
अवधपुरी बरखेड़ा पठानी, भोपाल (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा के यू.टी. आई म्युचलफण्ड में नाम विनीता गुप्ता पत्नी श्री राजीव कुमार गुप्ता अंकित है जबकि मेरी पक्षकारा के आधारकार्ड, बौटरकार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों में नाम विनीता रानी अत्रि पत्नी श्री राजीव कुमार गुप्ता तथा मेरी पक्षकारा के पैनकार्ड, अंकसूची में नाम विनीता रानी अत्रि अंकित है विनीता रानी अत्रि पत्नी श्री राजीव कुमार गुप्ता एवं विनीता रानी अत्रि पुत्री श्री विनोद प्रकाश अत्रि दोनों ही नाम मेरी पक्षकारा एक ही व्यक्ति के हैं मेरी पक्षकारा दोनों नामों से जानी पहचानी व पुकारी जाती है।

(438-बी.)

प्रदीप खौड़या,
(एडवोकेट)
ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Manal Manish Garg S/o Manish Garg, Resident of 121, Shri Krishna Paradise, Rau, Indore (M.P.) have changed my name from "Manal Manish Garg" to Manal Garg.

Old Name :

(MANAL MANISH GARG)

(439-B.)

New Name :

(MANAL GARG)121, Shri Krishna Paradise, Phase-1
Rau, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम पूनम मनवानी पुत्री श्री राजकुमार मनवानी था तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी। सामाजिक रीति रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर जानवी जेसवानी पत्नी श्री नितिन जेसवानी हुआ है, विवाह उपरांत से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

(पूनम मनवानी)

(440-बी.)

नया नाम :

(जानवी जेसवानी)
पत्नी-श्री नितिन जेसवानी,
निवासी-98, ब्राईट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स,
भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिल्की रहेजा वासवानी पत्नी श्री दीपक वासवानी, उम्र 33 वर्ष, निवासी 18, सखी विहार कॉलोनी, गोमती की फड़ी, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश मेरा शादी से पूर्व का नाम सिल्की रहेजा पुत्री श्री विशन कुमार रहेजा था एवं शादी के उपरान्त मेरा नाम सामाजिक रस्मों रिवाज के कारण सिल्की रहेजा वासवानी हो गया है। अतः एवं मैं अपने नाम को परिवर्तित करके सिल्की रहेजा से सिल्की रहेजा वासवानी कर रही हूँ। अतः आज दिनांक से भविष्य में मुझे सिल्की रहेजा वासवानी के नाम से जाना जाये तथा समस्त व्यवहार में एवं दस्तावेजों में इसी नाम से जाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(सिल्की रहेजा)

(441-बी.)

नया नाम :

(सिल्की रहेजा वासवानी)
निवासी-18, सखी विहार कॉलोनी,
गोमती की फड़ी, सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गणेशराम ओङ्का पुत्र श्री दैलतराम ओङ्का सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरे पुत्र दिनेश ओङ्का के स्थायी लेखा संख्या क्र. AATPO5776A में मेरा नाम गलती से प्रदीप कुमार लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान में मैं गणेशराम ओङ्का पुत्र श्री दैलतर्सिंह ओङ्का

के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ प्रदीप कुमार एवं गणेशराम ओझा एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे पुत्र दिनेश ओझा के स्थायी लेखा संख्या नं. AATPO5776A में मेरा नाम प्रदीप कुमार के स्थान पर गणेशराम ओझा लिखा एवं पढ़ा जाए आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(प्रदीप कुमार)

(442-बी.)

नया नाम :

(गणेशराम ओझा)

पुत्र-स्व. श्री दौलतसिंह ओझा,
चौधरी मोहल्ला, गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, चेतन कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका एल क्रमांक ए-001983 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लकी पुत्र श्री भवानी सिंह कुशवाह लिखा हुआ है। मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राइविंग लायरेंस, वोटरकार्ड, पासपोर्ट, नगर पालिक निगम इत्यादि में मेरा नाम चेतन कुशवाह पुत्र श्री भवानी सिंह कुशवाह लिखा हुआ है। और भविष्य में भी चेतन कुशवाह पुत्र श्री भवानी सिंह कुशवाह के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ लकी एवं चेतन कुशवाह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरी भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका एल क्रमांक ए-001983 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम चेतन कुशवाह पुत्र श्री भवानी सिंह कुशवाह अंकित किया जाये, सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(लकी)

(447-बी.)

नया नाम :

(चेतन कुशवाह)

निवासी-बी-1, भोपाल एकेडमी स्कूल के पास,
नवीन नगर ऐशबाग, भोपाल (म.प्र.).

जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं नेहा जैन पति कपिल चौरड़ीया, निवासी शिक्षक कॉलोनी बदनावर हाल मुकाम नागदा जंक्शन की होकर मेरा पुत्र अंश जो कि वर्तमान में आदित्य बिरला स्कूल नागदा जंक्शन में पढ़ रहा है। स्कूल में इसका नाम अंश चौरड़ीया लिखा है जब कि आधारकार्ड में और समग्र आई. डी. में अंश जैन ही लिखा है भविष्य में सरनेम को लेकर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आवे इसलिये स्कूल में भी इसका नाम अंश जैन का संशोधन करवाया जा रहा है अब भविष्य में मेरे पुत्र को अंश जैन के नाम से ही जाना, पहचाना जावे।

नेहा जैन,
पति-कपिल चौरड़ीया,
निवासी-शिक्षक कॉलोनी, बदनावर,
हाल मुकाम नागदा, जंक्शन।

(448-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका एल क्रमांक ए-001984 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मोतीलाल पुत्र श्री कमल सिंह लिखा हुआ है। मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राइविंग लायरेंस, वोटरकार्ड, पासपोर्ट, नगर पालिक निगम इत्यादि में मेरा नाम मोहन सिंह कुशवाह पुत्र श्री कमल सिंह कुशवाह लिखा हुआ है। और मैं भविष्य में भी मोहन सिंह कुशवाह पुत्र श्री कमल सिंह कुशवाह के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ मोतीलाल एवं मोहन सिंह कुशवाह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरी भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका एल क्रमांक ए-001984 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मोहन सिंह कुशवाह पुत्र श्री कमल सिंह कुशवाह अंकित किया जाये, सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(मोतीलाल)

(449-बी.)

नया नाम :

(मोहन सिंह कुशवाह)
निवासी-ए-1, भोपाल एकेडमी स्कूल के पास,
नवीन नगर ऐशबाग, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं मेरी आशीष सविता पुत्र श्री हरीशंकर सविता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम आशू श्रीवास पुत्र श्री हरीशंकर श्रीवास था। जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 203158384 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान मेरी मैं आशीष सविता पुत्र श्री हरीशंकर सविता के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और आशीष सविता के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ आशू श्रीवास एवं

अशीष सविता मेरे ही नाम है (गलती) से मेरी पॉलिसी क्रमांक 203158384 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम आशू श्रीवास पुत्र श्री हरीशंकर श्रीवास लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203158384 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आशीष सविता पुत्र श्री हरीशंकर सविता लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(आशू श्रीवास)

(450-बी.)

नया नाम :

(आशीष सविता)

पता-भाटनताल रोड, लहार पोस्ट लहार,

जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा घरेलू नाम मिठाईलाल है आज से मुझे हरप्रसाद नाम से जाना जाये. मेरी पत्नी ने अपनी नौकरी में भूलवश मिठाईलाल लिखवा दिया था.

पुराना नाम :

(मिठाईलाल)

(451-बी.)

नया नाम :

(हरप्रसाद)

60, क्वाटर पिपलानी, भोपाल.

CHANGE OF NAME

I, Pravjot Singh Bal son of Bhupendra Singh Bal, 24 year, resident Civil Ward No.7, Old Housing Board Colony, Damoh vows the following statement that I am permanently residing at the above address. That my name was Bittu Singh Bal son of Bhupendra Singh Bal. Now my name has been changed to Pravjot Singh Bal. I am now known to be known by this name. This name should be recorded in all my Official and non-Official documents.

Old Name :

(BITTU SINGH BAL)

Son of Bhupendra Singh Bal.

(456-B.)

New Name :

(PRAVJOT SINGH BAL)

Son of Bhupendra Singh Bal.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व नाम कु. आभा शुक्ला पुत्री गिरजाचरण शुक्ला था तथा शादी के पश्चात् मेरा नाम श्रीमति पिंकी पाण्डे पत्नी श्री देवेंद्र पाण्डे हो गया है. मेरे शिक्षा संबंधी एवं शासकीय रिकार्ड में मेरा नाम आभा शुक्ला/आभा पाण्डे एवं पिंकी पाण्डे के नाम से बने हुए हैं. अब मैं अपना नाम आभा पाण्डे उर्फ पिंकी पाण्डे के नाम से जानी जाती हूँ, मैं इस जाहिर सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से मेरा नाम श्रीमति आभा पाण्डे उर्फ श्रीमति पिंकी पाण्डे पत्नी श्री देवेंद्र पाण्डे के नाम से जानी जाऊंगी. यही अब भविष्य में मेरा नाम रहेगा.

पुराना नाम :

(आभा शुक्ला)

(457-बी.)

नया नाम :

(आभा पाण्डे)

उर्फ पिंकी पाण्डे.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार मैसर्स वेलडायनामिक्स 622, शिवसिटी राड, जिला इन्दौर में वर्ष 2013 की डीड अनुसार 2 (दो) पार्टनर 1. श्री शैलेन्द्रसिंह पिता श्री सुभाषचन्द्रजी ठाकुर, निवासी मेहतवाडा, जिला सिहोर तथा 2. श्री विकास पिता श्री रामचन्द्रजी रामी निवासी-622, शिवसिटी राड, जिला इन्दौर थे. तत्पश्चात् संशोधित डीड दिनांक 02-04-2018 में तीसरे पार्टनर श्री जयप्रकाश पिता रतीलालजी वासा, निवासी-203-204, सलोनी अपार्टमेन्ट, टी.पी.एस. रोड नं.56, बोरबेली मुम्बई, भी शामिल होकर उन्हें पार्टनर बनाया जाकर अब उपरोक्त पार्टनरशिप फर्म में उपरोक्तानुसार तीन पार्टनर हो गये हैं. अतः विदित हो.

राजेन्द्र कुमार काला,
एडब्ल्यूकेट,

(443-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पीताम्बरा स्टोन्स स्थित 13, नगर निगम कॉम्प्लेक्स, हास्पीटल रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00003/08, दिनांक 05-04-2008 है. जिसमें दिनांक 02-08-2019 को भागीदार श्री राघवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री महेन्द्र सिंह यादव अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 02-08-2019 को श्री दयाशंकर शर्मा पुत्र श्री नीरज शर्मा, 524, सुरेश नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. एवं इसी दिनांक से फर्म का मुख्य कार्यालय एम डी 76, कर्णकुंज कॉलोनी, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झांसी रोड दतिया से परिवर्तित कर 524, सुरेश नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश हो गया है सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म पीताम्बरा बिल्डकॉन,
अमित सक्सेना,
(भागीदार)

(444-बी.)

पता-उन्नाव रोड, दतिया (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT 1932

Be It Known To All Concerned That the Constitution of The Partnership Firm Style M/s Associated Engineers With Its Office At 6-E, Industrial Area, Govindpura, Bhopal Has Retired Smt. Seema Bansal W/o Shri Ashwani Bansal From Partnership w.e.f. 31-03-2004 Shri Ram Bansal S/o Late Shri Nanoomal Bansal w.e.f. 31-03-2007 Smt. Vijay Bansal W/o Late Shri R.C. Bansal w.e.f. 31-03-2007 & Smt. Shashi Bansal W/o Shri G.K. Bansal w.e.f. 31-03-2007 & Added Incoming Partner Shri S.P. Bansal S/o Late Shri Nanoomal Bansal W.e.f. 01-04-2012.

KRISHNA BANSAL,
(partner).

(445-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सावित्री कन्स्ट्रक्शन, पता-श्रीनिवास तिवारी के मकान के बगल में अमहिया, रीवा मध्यप्रदेश का पंजीयन क्रमांक 05/22/03/00115/09, दिनांक 13-01-2009 पर पंजीकृत जारी है यह कि पंजीयन के समय फर्म में श्री राजेस्वर प्रसाद दुबे, श्रीमती रला तिवारी, श्री रमाशंकर दुबे एवं सौरव तिवारी भागीदार थे फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 23-07-2014 को श्री राजेस्वर प्रसाद दुबे फर्म के भागीदार से पृथक हो गये एवं उक्त दिनांक को ही श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी बतौर भागीदार सम्मिलित हो गये. फर्म की रचना में दिनांक 17-11-2017 को श्रीमती रला तिवारी फर्म की भागीदार से पृथक हो गयीं एवं उक्त दिनांक को श्री शोषमणि तिवारी फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हो गये. उक्त लेख को सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

फर्म मैसर्स सावित्री कन्स्ट्रक्शन,
राजेन्द्र तिवारी,
(भागीदार)

(446-बी.)

पता-श्रीनिवास तिवारी के बगल में अमहिया,
रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हाईवे पार्इप्स जो म.न. 36, दलवी नगर, गुना मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 00097/12, दिनांक 14-08-2012 जिसमें दिनांक 01-04-2019 को भागीदार राजेश गुप्ता पुत्र श्री टीकाराम जी गुप्ता, निवासी-दलवी नगर, गुना मध्यप्रदेश एवं हरी सिंह जाट पुत्र श्री हजरत सिंह जाट, निवासी-हनुमान कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2019 को श्री राजेन्द्र सिंह जाट पुत्र श्री हजरत सिंह जाट, निवासी-हनुमान कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं तथा इसी दिनांक 01-04-2019 से फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय 36, दलवी नगर, गुना से परिवर्तित होकर नवीन स्थान हनुमान चौराहा गुना पर हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स हाईवे पार्इप्स,
हरवीर सिंह जाट,
(भागीदार)

(452-बी.)

पता-36, दलवी नगर, गुना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सुमेरु स्टोन जो श्री आर. के. मिश्रा का मकान, सिसौदिया कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 00073/07, दिनांक 30-10-2007 जिसमें दिनांक 01-04-2009 को भागीदार श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री टीकाराम जी, निवासी-सिसौदिया कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 01-04-2019 को श्री राजेन्द्र सिंह जाट पुत्र श्री हजरतसिंह जाट, निवासी-हनुमान कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 01-04-2019 फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय श्री आर. के. मिश्रा का मकान, सिसौदिया कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश से परिवर्तित होकर नवीन स्थान दलवी नगर गुना हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स सुमेरु स्टोन,

अमित गुप्ता,

(भागीदार)

(453-बी.)

पता-दलवी नगर, गुना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नीरज होम्स एंड होम्स जो 64-ए, यामाह अपार्टमेंट, सिविल लाइन्स, नियर किलोर पार्क भोपाल में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 00214/10, दिनांक 29-07-2010 जिसमें दिनांक 01-08-2019 को भागीदार श्रीमती नेहा जौहरी (श्रीवास्तव) पुत्री स्व. श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव पत्नी श्री गौरव जौहरी, निवासी-सी-312, विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई हैं। एवं इसी दिनांक 01-08-2019 को श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री जगदीश श्रीवास्तव, निवासी-ए-304, कृष्णांचल अपार्टमेंट, कालिंजर स्कूल के सामने, परी बाजार रोड, भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा इसी दिनांक 01-08-2015 फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस के परिवर्तित कर नवीन स्थान ए-304, कृष्णांचल अपार्टमेंट, कालिंजर स्कूल के सामने परी बाजार रोड, भोपाल हो गया है।

मैसर्स नीरज होम्स एंड होम्स,

अर्पिता श्रीवास्तव,

(भागीदार)

(454-बी.)

(भागीदार)

PUBLIC NOTICE

UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT 1932

Be It Known To All Concerned That the Constitution of The Partnership Firm Style M/s Praveen Udyog with its office at 5-E, Industrial area, Govindpura, Bhopal has retired Smt. Sudha Bansal W/o Shri R.S.Bansal From Partnership w.e.f. 31-03-2012 & Smt. Prbha Bansal W/o Ram Bansal w.e.f. 31-03-2004 Smt. Shashi Bansal W/o Shri K.G. Bansal w.e.f. 31-03-2004 & Added Incoming Partner Smt. Anjalikant Bansal W/o Shri Anshuman Bansal W.e.f. 01-04-2012.

S.P. BANSAL,

(455-B.)

(Partner).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर

रा.प्र. क्र. 04/बी-113(4)/2018-19.

जारी दिनांक 01 अगस्त, 2019

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक “श्री रोशन लाल सक्सेना आचार्य सुरक्षा न्यास” सरस्वती शिक्षा परिषद परिसर नरसिंह मंदिर के पीछे गोरखपुर, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त, 2019 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियाँ/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : “श्री रोशन लाल सक्सेना आचार्य सुरक्षा न्यास” सरस्वती शिक्षा परिषद परिसर नरसिंह मंदिर के पीछे गोरखपुर, जबलपुर.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.
4. न्यास की आय का स्रोत : दान से, भेट से.

मनीषा वास्कले,

अनुविभागीय अधिकारी.

(499)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परगना व जिला भिण्ड

प्र. क्र. 0002/2019-20/बी-113(ट्रस्ट गठन). भिण्ड, दिनांक 27 जुलाई, 2019

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1)के अंतर्गत]

जैसा कि श्री परपूर्णानन्द जी महाराज पुत्र श्री अडगडानन्द जी महाराज, निवासी परमहंस आश्रम ग्राम समन्ना थाना फूफ, तहसील भिण्ड ने (योगेश्वर ट्रस्ट श्री अडगडानन्द जी महाराज) के नाम से ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के पेश किया गया।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : योगेश्वर ट्रस्ट श्री अडगडानन्द जी महाराज परमहंस आश्रम ग्राम समन्ना, थाना फूफ, तहसील भिण्ड.
2. चल सम्पत्ति : 50000/- रुपये नगदी एवं मंदिर के उपयोग की अन्य सामग्री कीमत लगभग 3,10,900/-
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम समन्ना की आबादी के सर्वे नम्बर 524 रकवा 0.0900 हैक्टर के सम्पूर्ण भाग पर निर्मित आश्रम का भवन.

(500)

प्र. क्र. 0003/2019-20/बी-113(ट्रस्ट गठन). भिण्ड, दिनांक 01 अगस्त, 2019

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1)के अंतर्गत]

जैसा कि श्रीमती अंजू गुप्ता पन्नी राजेश गुप्ता, निवासी पुराना हलवाई खाना, भिण्ड ने पुष्पा लोक कल्याण एवं शिक्षा ट्रस्ट भिण्ड के नाम से ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के पेश किया गया।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2019 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : पुष्पा लोक कल्याण एवं शिक्षा ट्रस्ट भिण्ड
मध्यप्रदेश कार्यालय तपोवन कॉलोनी, ग्राम डिडी, तहसील भिण्ड.
2. चल सम्पत्ति : आवेदिका अंजू गुप्ता के नाम से यूनियन बैंक भिण्ड में
खाता क्रमांक 689302010004667 में 1500/- रुपये जमा.
3. अचल सम्पत्ति : मौजा विन्द्रावन खादर, जिला मथुरा में प्लाट नम्बर 42, 43
जिसका क्षेत्रफल 145.25 वर्गमीटर आवासीय.

एच. बी. शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(501)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-सतना**प्रारूप क्र. 4**

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष।

यतः कि श्री राजेश मोंगिया तनय स्व. मालाराम मोंगिया, निवासी 13/288 ट्रांसपोर्ट नगर, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20 अगस्त, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : “श्री शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट”.
सार्थक बिल्डर एण्ड डेवलपर्स, हंस विला के सामने
भरहुत नगर सतना, तहसील रघुराजनगर।
2. अचल संपत्ति : निरंक
3. चल संपत्ति : 1,01,000/- रुपये।

प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष,

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, पी. एस. त्रिपाठी, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 अगस्त, 2019 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 20 अगस्त, 2019 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

पी. एस. त्रिपाठी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(502)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मैहर, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक मैहर जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिये मैं, हेमकरण ध्रुव, लोक न्यासों का पंजीयक मैहर, जिला मेरे न्यायालय में 2019 के 10 अगस्त, 2019 के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री राधाकृष्ण गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम कोयलारी, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं:-

चल सम्पत्ति	:	4,00,000/- रुपये।
अचल सम्पत्ति	:	आ. नं. 1554, 1555, 1558/2, 1559/1, 1560/1, 1561/1, 1708 मौजा कोयलारी, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.).

(503)

हेम करण ध्रुव,

अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

प्रक्र./001/बी-113/2019-20.

(प्रारूप-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5(1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक सरपंच पदेन श्री रामनाथ लोधी, सचिव सूर्यप्रकाश दुबे व अन्य, निवासी ग्राम मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी द्वारा सार्वजनिक श्री हनुमानजी महाराज संकट मोचन धाम समिति मुहांस मंदिर न्यास मुहांस द्वारा मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	सार्वजनिक श्री हनुमानजी महाराज संकट मोचन धाम समिति मुहांस।
पता	:	ग्राम मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी।

चल संपत्ति	:	निरंक
अचल संपत्ति	:	ग्राम मुहांस प.ह.नं. 19 स्थित भूमि खसरा नं. 151, रकवा 0.39.
सदस्यगणों के नाम	:	1. अनुविभागीय अधिकारी कटनी पदेन, 2. तहसीलदार रीठी पदेन, 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीठी, 4. सचिव ग्राम पंचायत मुहांस, 5. हल्का पटवारी पदेन-सदस्य, 6. सरपंच ग्राम पंचायत मुहांस पदेन-सदस्य, 7. सरमनलाल पटेल पण्डा, 8. सूर्यप्रकाश दुबे-सदस्य, 9. अशोक कुमार विश्वकर्मा-सदस्य, 10. लल्लू पाण्डेय-सदस्य, 11. केशव सिंह-सदस्य, 12. कृपाल पटेल-सदस्य, 13. बुद्धलाल पटेल-सदस्य, 14. जानकी प्रसाद पटेल-सदस्य, 15. सुशील पटेल-सदस्य 16. गजन्द्र सिंह सदस्य, 17. अवधेश दुबे-सदस्य.

न्यास की आय के स्रोत न्यासीगण का अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां औसत सकल वार्षिक आय है।

आज दिनांक 02 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बलवीर रमण,

अनुविभागीय अधिकारी.

(504)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्डौर फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री दीपक दरयानी पिता सुन्दरदास दरयानी, पता-37-ए, स्लाइस नं. 6, स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्डौर के द्वारा “आशा सुन्दर चेरिटेबल ट्रस्ट” पता-37-ए, स्लाइस नं. 6, स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्डौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 (2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रूपये 05/- का चालान क्रमांक 00553101, दिनांक 22 जुलाई, 2019 प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“आशा सुन्दर चेरिटेबल ट्रस्ट”
पता	:	37-ए, स्लाइस नं. 6, स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्डौर.
चल सम्पत्ति	:	21,000/- रुपए.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 22 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,

पंजीयक.

(505)

अन्य सूचनाएं कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/495, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है,

संस्था साधारणतः: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगोन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया, पंजीयन क्रमांक 1636, दिनांक 01 मार्च, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री हुकुम यादव, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(506)

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/494, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगोन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवला, तह. कसरावद, पंजीयन क्रमांक 1635, दिनांक 29 मार्च, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री हुकुम यादव, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(507)

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/489, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगोन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घेराँव, तह. खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1629, दिनांक 01 मार्च, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक, खरगौन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(508)

खरगौन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/490, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगौन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसनगांव, तह. खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 16 मई, 2017 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक, खरगौन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(509)

खरगौन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/492, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगौन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़गाँव न्यू, तह. भिकनगाँव, पंजीयन क्रमांक 2015, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक, खरगौन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक.

(510)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2019-श्रावण 25, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा है। राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
2. प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- ..
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- ..
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..
7. अन्य असामयक घटना से छति :- ..
8. फसल स्थिति :- राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है।
9. सिंचाई:- जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगराली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. बीजः - राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सरसों, चना अधिक गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा, मैंथी समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, धनियां, बीज समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों अधिक. तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बर्ट्टेवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छत्तरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छत्तरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर 6. देवन्द्रनगर 7. अमानगंज 8. सिमरिया 9. रैपुरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, अलसी, आलू अधिक. तुअर, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, मटर, बटरी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी गना कम. आलू-प्याज अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. जिला दमोह : 1. हटा 2. बिट्यागढ़ 3. दमोह 4. पश्चिमिया 5. जबेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. तुअर, चना, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना : 1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा : 1. त्यैथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक. (2) तुअर बिगड़ी हुई हैं। शेष फसलें सुधरी हुई हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढ़ार 5. गोहपारू 6. जैतपुर				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मटर अधिक. अलसी, मटर समान. (2) तुअर, मसूर बिगड़ी हुई. अलसी समान हैं। गेहूँ चना सुधरी हुई हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चंदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरनैकिन				
20. जिला सिंगराली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ राई-सरसों, अलसी समान. (2) तुअर बिगड़ी हुई है। राई, अलसी समान है। गेहूँ, चना, जौ सुधरी हुई है।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवपर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगराली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना अधिक. राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. दालोद 7. श्यामगढ़ 8. सीतामऊ 9. धुंधड़क्का 10. संजीत 11. कयामपुर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ सरसों, अलसी अधिक. चना, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	..				
3. सिंगोली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. शवा कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावरा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त
1. बड़ौदा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ोदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, उड़द (खबी), मूँग(खबी), चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झावुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झावुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्डद(खो), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सौंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. गना, गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. गोतमपुरा 5. हातोद 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, तुअर कम. (2) गेहूँ सुधरी. शेष फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगौन 5. गोगावा 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. व्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. श्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तिवड़ा कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. तुअर समान. गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरूल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. गन्ना कम. (2) तुअर बिगड़ी हुई शेष फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. रायसेन	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. (1) गेहूँ चना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बैतूल	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. भैसदेही	..				
3. घोड़डोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. हरदा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटांव	..				
5. हड्डिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों, गेहूँ (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, अधिक. मटर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	..				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुन्नारदेव 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुणा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, तिवडा, तुअर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादेन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसार	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खेरलाँजी	..				

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.